**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Revision Petition No. 244/2026

Juvenile Conflict With Law N Son Of Shri Sakir (Natural Guardian), Date Of Birth 02.05.2009, Resident Of Village Dongdi, Police Station Kaithwada, District Deeg (Raj.) Minor, Through His Natural Guardian, Father Shri Sakir Son Of Shri Jumma (At Present Confined In Observation Home, Bharatpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Revision Petition No. 212/2026

A Son Of Shri Khalid (Natural Guardian), Aged About 17 Years, Resident Of Village Bhuapur Gadi, Police Station Kaithwada, District Deeg (Rajasthan), Presently Confined In Reformatory Home Bharatpur (Rajasthan), Through Natural Guardian Father Shri Khalid Son Of Shri Kamaluddin. (Presently Accused Confined In Reformatory Home Bharatpur)

----Petitioner

Versus

State, Of Rajasthan

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Girish Khandelwal<br>Mr. Namo Narayan Meena for<br>Mr. Harendra Singh |
| For Respondent(s) | : | Mr. Shriram Dhakar, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI**

**Order**

**23/02/2026**

अधीनस्थ विचारण न्यायालय, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, **किशोर न्याय बोर्ड, डीग, जिला डीग** द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**01/2026, पुलिस**

**थाना–कैथवाड़ा, जिला डीग** अपराध अंतर्गत धारा–**111(2)(बी), 111(3), 111(4), 303(2), 317(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क)** बी0एन0एस0 व धारा–**66डी** आई0टी0 एक्ट में पारित आदेश दिनांक–**19.01.2026,** जिसके तहत याचीगण/किशोरगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा **12** किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जिसे आगे अधिनियम, 2015 कहा जाएगा) खारिज किया गया एवं विद्वान अपीलीय न्यायालय–**जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग, पदेन न्यायाधीश–बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, डीग (राज0)** द्वारा क्रमशः आपराधिक अपील संख्या–**29/2026 एवं 24/2026** में पारित आदेश क्रमशः दिनांक **28.01.2026 एवं 22.01.2026** के द्वारा याचीगण–किशोर की ओर से प्रस्तुत पृथक–पृथक अपीलें अंतर्गत धारा **101** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 खारिज की गईं, जिससे व्यथित होकर याचीगण–किशोरगण की ओर से जरिये संरक्षक ये फौजदारी पुनरीक्षण याचिकाएं (जमानत) प्रस्तुत की गई हैं।

दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं एक ही आक्षेपित आदेशों/निर्णयों से संबंधित होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

बहस सुनी गई।

विधि से संघर्षरत याचीगण/किशोरगण (जिसे आगे किशोर कहा जाएगा) के योग्य अधिवक्तागण का कथन रहा है कि याचीगण/किशोरगण निर्दोष है, उन पर लगाए गए आरोप मिथ्या हैं। किशोरगण दिनांक 01.01.2026 से राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में है, उनका दौराने बहस यह भी तर्क रहा है कि किशोरगण को संप्रेक्षण गृह में निरूद्ध रखे जाने से उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आक्षेपित आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है, याचीगण–किशोरगण को यदि जमानत की सुविधा दी गई तो वे अपने परिवारजन के संरक्षण में अधिक सुरक्षित रहकर अपना अनुकूल भविष्य निर्मित

कर सकेंगे। उनका यह भी निवेदन है कि किशोरों के मामलों में अपराध की गंभीरता को नहीं देखा जाना है, अपितु किशोर का हित सर्वोपरि है, प्रकरण की जांच में समय लगेगा, अतः ऐसी स्थिति में धारा 12 जे0जे0 एक्ट के प्रावधानों को देखते हुए आक्षेपित आदेशों को अपास्त करते हुए याचीगण/किशोरगण को जमानत सुविधा प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता, किशोरगण की अच्छी परवरिश नहीं होने तथा दोनों आक्षेपित आदेशों/निर्णयों को विधिक प्रावधानों की मन्शा के अनुरूप होना बताते हुए आक्षेपित आदेशों को पुष्ट किए जाने तथा ये पुनरीक्षण याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों, विधिक प्रावधानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री पर गंभीरता से विचार किया तथा परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, मामले की परिस्थितियों, धारा 12 किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान, याचीगण–किशोरगण के हित एवं अन्य सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना, ये जमानत पुनरीक्षण याचिकाएं स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः याचीगण–विधि से संघर्षरत बालकगण/किशोरगण ''**एन'' पुत्र श्री साकिर एवं ''ए पुत्र श्री खालिद** की ओर से जरिये संरक्षक प्रस्तुत ये फौजदारी पुनरीक्षण याचिकाएं (जमानत) स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.01.2026 एवं अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश क्रमशः 28.01.2026 एवं 22.01.2026 अपास्त किए जाते हैं एवं आदेश दिया जाता है कि यदि याचीगण/किशोरगण की ओर से उनके संरक्षक विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, **पचास हजार रूपये का स्वयं का बन्ध–पत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां** इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें कि वे याचीगण/किशोरगण को जमानत के दौरान अपनी संरक्षकता में सुरक्षित

रखेंगे, किसी आपराधिक व्यक्ति/तत्व के सम्पर्क में नहीं आने देंगे एवं किशोरगण को विचारण न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उन्हें नियत प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित कर देंगे, तो किशोरगण को इन प्रकरणों में जमानत पर आजाद कर दिया जाए।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Manoj Advani/26-27